हिमवन्त कवि चन्द्रकुँवर बर्त्वाल राजकीय महाविद्यालय
नागनाथ पोखरी,चमोली,उत्तराखण्ड

प्रवेशार्थी निर्देशिका
(PROSPECTUS)

ACADEMIC SESSION 2022-2023

Himwant Kavi Chandrakunwar Bartwal Government Degree College
Nagnath Pokhari -246473,Chamoli, Uttarakhand

Website: www.gdcpokhari.com, E-mail: gdcpokhari@gmail.com,naacgdcpokhari@gmail.com
Phone: +918958649685, Fax: 01372-213886

VISION

Education must transform life and build a healthy Society

MISSION

To educate students for their holistic development.We take necessary decisions required for support, building the careerand personal development of students. Teaching methodology takes care of the diverse profile of students.

अनुक्रमणिका

विषय

1. महाविद्यालयः एक संक्षिप्त परिचय

2. प्राचार्य की कलम से

3. शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र 2022–23

4. प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

5. प्रवेश सम्बन्धी नियम

6. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

7. उपस्थिति नियम

8. पाठ्य विषय

9. बी0ए0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन संबन्धी निर्देश

10. पाठ्य विषय सहगामी क्रिया–क्लाप

11. अनुशासन

12. परिचय पत्र

13. महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

14. राष्ट्रीय सेवा योजना／रेड रिबन क्लब

15. पुस्तकालय

16. महाविद्यालय प्रशासन

17. छात्र संघ

18. रैंगिग निषेध अधिनियम 2009

19. शुल्क विवरण

20. महाविद्यालय परिवार

हिमवन्त कवि चन्द्रकुंवर बर्त्वाल राजकीय महाविद्यालय नागनाथ पोखरी, चमोली।

नागनाथ पोखरी पुष्कर नाग की स्थली के साथ–साथ नागवंशीय राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्थान जिला चमोली में स्थित कर्णप्रयाग से 28 किमी0 की दूरी पर है। यह स्थान एक ओर जहां अपनी प्राकृतिक छटाओं को बिखेरे हुए है, वहीं विभिन्न प्रकार के औषधीय पादपों को भी आश्रय प्रदान करती है। इस स्थान पर नागपुर गढ़ी जिसे नागपुर वंशीय राजाओं की राजधानी कहा जाता है, के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। इन राजाओं के गढ़देवी के रूप में विराजित देवी राज–राजेश्वरी का मंदिर भी गढ़ी के समीप प्राप्त होता है। उत्तराखण्ड में प्रचलित लोकोक्ति ''जितने कंकर उतने शंकर'' का दृष्टिगोचर इस स्थान पर भी प्राप्त होता है। इस स्थान में अवस्थित विभिन्न शिव मंदिर यथा बामेश्वर, वीणेश्वर, सलना महादेव, भणज शिव मंदिर आदि इस स्थान को शिवमयी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न देवियों से सम्बन्धित मंदिरों में चामुण्डा मंदिर, चमेठी, देवस्थान मंदिर, विश्वेश्वरी मंदिर, विशाल इस स्थान की प्राचीनता को इंगित करता है। भगवान कार्तिकेय के मंदिर यद्यपि दक्षिण भारत में बहुतायत प्राप्त होते हैं, किन्तु उत्तर भारत में इस देवता के मंदिर अल्प ही हैं। दक्षिण भारत में इस देवता को युरूगेशन के रूप में जाना जाता है। नागनाथ पोखरी से 12 किमी0 की दूरी पर स्थित कनकचौरी से 4 किमी0 की पैदल मार्ग से कार्तिक स्वामी मंदिर है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस स्थान को कार्तिक स्वामी की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है।

समाजसेवियों एवं जनसंघर्षों के अथक प्रयास के फलस्वरूप 18 अगस्त 2001 को उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– उच्च शिक्षा अनुभाग के पत्रांक संख्या 277/मं0सं0 शिक्षा/2001 दिनांक 10 अगस्त 2001 को बहुमुखी प्रतिभा के धनी जनहृदय, प्रकृति प्रेमी सुप्रसिद्ध छायावादी कवि स्व0 श्री चन्द्रकुंवर बर्त्वाल जी के नाम से राजकीय महाविद्यालय नागनाथ पोखरी चमोली की स्थापना की गई।

यह महाविद्यालय उत्तराखण्ड राज्य के सीमान्त जनपद चमोली के तहसील पोखरी नागनाथ के मुख्यालय में 30^0 20′ 34′′ उत्तरी अक्षांश एवं 79^0 11′ 53′′ पूर्वी देशान्तर के मध्य प्रकृति की सुरम्य गोदस्थली जो समुद्रतल से 1850 मीटर ऊंचाई पर 0.998 हेक्टेअर भूमि पर स्थित है। स्थापना के समय शासन के शासनादेश संख्या 474/उच्च शिक्षा/2003–3(42)2002 दिनांक 19 सितम्बर 2003 द्वारा 01 प्राचार्य, 01 प्रवक्ता– अंग्रेजी, 01 कनिष्ठ सहायक एवं 01 अनुसेवक के पद सृजित किये गये तथा पुनः शासन के शासनादेश संख्या 163/XXIV(7)/2006–3(42)2002 दिनांक 17 जून 2006 में 06 प्रवक्ता पद (हिन्दी, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं इतिहास) सृजित किये गये तथा शासनादेश संख्या 2290/xxiv(7)18(6)/2010 दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 के अर्न्तगत सहायक पुस्तकालध्यक्ष–01, कनिष्ठ सहायक–02, प्रयोगशाला सहायक – भूगोल –01, प्रयोगशाला परिचर–01, अनुसेवक–03 एवं स्वच्छक/चौकीदार–01 के पद सृजित हुये। स्थापना के समय इस महाविद्यालय में कुल छात्र/छात्रा संख्या 35 थी जो वर्तमान में बढ़कर 292 हो गई है।

यह महाविद्यालय प्रारम्भ से जिला प्रचायत चमोली एवं विधायक निधि से निर्मित भवनों में ही संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु शासन से कुल लागत रूपये 04 करोड़ 62 लाख 92 हजार स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें से अभी तक 51 लाख रूपये अवमुक्त किया गया है। जिसका निर्माण कार्य पेयजल निगम निर्माण द्वारा किया जा रहा है। जिसके द्वारा अभी तक भवन निर्माण कार्य प्रथम चरण का प्रारम्भ किया गया है।

महाविद्यालय में वाचनालय एवं पुस्तकालय सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। जिसमें पत्र/पत्रिकाएं, प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे एवं दैनिक समाचार पत्र तथा लगभग 6000 पुस्तकें हैं, जिनसे छात्र/छात्राएं ज्ञानार्जन कर रहे हैं।

महाविद्यालय स्तर से शासन–प्रशासन को कुछ मुख्य विषय संस्कृत, शिक्षाशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान के साथ–साथ विज्ञान एवं कामर्स संकाय स्वीकृत करने हेतु बराबर पत्राचार किया जा रहा है तथा परास्नातक में भूगोल, हिन्दी, राजनीति विज्ञान को खुलवाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। वर्तमान में यह

महाविद्यालय दूरसंचार प्रभावी संयत्र यथा टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट से सम्बद्ध है। महाविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत् शासन द्वारा एडुसेट से भी जोड़ा गया है।

प्राचार्य की कलम से

उत्कृष्ट व्यक्तित्व निर्माण हेतु मानव का उच्च शिक्षण संस्थाओं से ज्ञानार्जन करना एक महत्वपूर्ण सोपान है। शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में हमारा पथ प्रदर्शन करता है। ज्ञान ही है जो मनुष्य को समस्त तत्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान करता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनकी शिक्षा में छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ–साथ उनके सर्वागीण विकास हेतु प्रयास किया जाता है ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके।

मनुष्य अध्ययन के साथ–साथ चिन्तन करते हुए शब्दो का परिधान पहनता है। इसी से मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। यह पूर्णता न केवल वर्तमान समाज अपितु संग्रहीत ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी एक आदर्श प्रस्तुत करता है। छात्रों के आत्मिक विकास एवं सृजनात्मक प्रतिभाओं को तरासने हेतु महाविद्यालय प्रयासरत है।

उच्च शिक्षा के लिए राजकीय महाविद्यालयो को विषम भौगोलिक परिस्थितियों में खोलने का सरकार का प्रमुख उद्देश्य अपने दायित्व की पूर्ति करना तथा उच्च शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक तथा प्रत्येक स्थान पर पहुँचाने की इच्छा रही है। राजकीय महाविद्यालय नागनाथ पोखरी लगभग 11 साल पुराना महाविद्यालय है, जिसमें 453 छात्र–छात्रायें अध्ययन करते है। महाविद्यालय में यद्यपि संसाधनों की कुछ कमी है लेकिन शिक्षणेत्तर गतिविधियों में कोई कमी नही हैं। महाविद्यालय स्टाफ का सहयोग व विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण सक्रिय भागीदारी ने इसकी गुणवत्ता को बढाया है। हम सभी लोगो का यह दायित्व है कि अपनी सर्वोत्तम सेवाएं महाविद्यालय को दें, जो हम दे सकते है।

महाविद्यालय रचनात्मक कार्यो को करते हुए अपने दायित्वो के प्रति कभी भी उदासीन नही रहा, छात्र–छात्राओं का सर्वागीण विकास हेतु महाविद्यालय कुछ मूलभूत आवश्यकताओं से अभी भी वंचित है फिर भी महाविद्यालय मे अनेक क्रियाकलाप एवं छात्र–छात्राओं हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य किया जा रहा है । विगत वर्ष महाविद्यालय की वेबसाइट का निर्माण एवं छात्र–छात्राओं हेतु इण्टरनेट सुविधा जहाँ एक ओर महत्वपूर्ण कार्य था, वहीं छात्र–छात्राओं को कैरियर काउन्सिलिंग एवं साफ्ट स्किल डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम से भी उनके व्यक्तित्व विकास के साथ–साथ रोजगारोन्मुख हेतु प्रयास किया गया है। मुझे यह कहने में अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि इन प्रयासों में छात्र–छात्राओं विशेष कर छात्राओं की भागीदारी अत्यन्त उत्साहवर्द्धक रही।

हमारी संस्था का ध्येय विद्यार्थियों के लिए ऐसी उर्वरा भूमि एवं वातावरण उपलब्ध कराना है जिसमें विद्यार्थी अपने सुसुप्त गुणों एवं विशेषताओं के बीज अंकुरित कर जीवन को सार्थक बना सकतें हैं। हम एक ऐसे सॉचे की तरह विद्यार्थियो के लिए कार्य करना चाहते हैं जिसमें ढलकर वे अपने दृष्टिकोण, विचारों और भावनाओं को उन्नत रूप दे ताकि अन्ततः समाज व देश को सुशिक्षित सोच एवं अनुशासित व्यवहार प्राप्त हो सके।

मुझे आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि इस महाविद्यालय से निकले छात्र–छात्रायें न केवल अपने क्षेत्र में अपितु राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाएंगे तथा संस्था का नाम रोशन करेंगे। भविष्य में आप और ऊँचाइयां प्राप्त करेंगे।

प्रो0 पंकज पंत
प्राचार्य

हि0क0चं0कुँ0ब0 राजकीय महाविद्यालय नागनाथ पोखरी, चमोली।

Himwant Kavi Chandra Kunwar Bartwal Government Degree College Nagnath Pokhari, Chamoli

शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र 2022–23

आवेदन प्रारम्भ

1. प्रवेश फॉर्म – 11.07.2022–25.07.2022
2. शैक्षिक सत्र प्रारम्भ – 06.08.2022
3. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि – 25.07.2022
4. स्नातक, स्नातकोत्तर की अन्य समस्त कक्षाओं में प्रवेश प्रारम्भ की तिथि – 22.08.2022
5. स्नातक, स्नातकोत्तर की अन्य समस्त कक्षाओं में प्रवेश की अन्तिम तिथि – वि0वि0 द्वारा परीक्षाफल घोषित होने के 10 दिन के भीतर।
6. शिक्षण कार्य प्रारम्भ की तिथि – 01.09.2022
7. विभागीय परिषदों का गठन – माह नवम्बर 2022 (प्रस्तावित)
8. छात्रसंघ चुनाव/समारोह – वि0वि0 के निर्देशानुसार
9. परीक्षावधि – सेमे0/वार्षिक/वि0वि0 द्वारा निर्धारित तिथि।
10. शीतावकाश – माह जनवरी, 2023 में प्रस्तावित (परिवर्तनीय)
11. ग्रीष्मावकाश – माह जून, 2023 में प्रस्तावित (परिवर्तनीय)
12. एन0एस0एस0 कैंप/शिक्षण टूर/विभागीय परिषदों की प्रतियोगिताऐं – 15 से 30 नवम्बर, 2022 के मध्य प्रस्तावित (परिवर्तनीय)
13. शिक्षणेत्तर गतिविधयां एन0एस0एस0/वार्षिक क्रीड़ा वार्षिकोत्सव विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुक्रम में निर्धारण।

नोटः–शैक्षणिक कैलेण्डर में परीक्षा तिथियां वि0वि0 के निर्देशानुसार ही सम्पादित की जायेगी।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

1. आवेदन पत्र भरने से पहले एवं विषयों का चयन करते समय अभ्यर्थी प्रवेश नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें।
2. हस्ताक्षर और पता को छोड़कर अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र बड़े अक्षरों में भरने हैं।
3. बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर मान्य नही होंगे। छोटे अक्षरों में ही हस्ताक्षर करें।
4. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अंक तालिकाओं तथा खेल एवं अन्य प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां लगायी जानी आवश्यक हैं।
5. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम श्वेत–श्याम अथवा रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को उचित स्थान पर चिपकाना अनिवार्य है।
6. निर्धारित तिथि के पूर्व प्रवेश आवेदन पत्रों को पूर्णतः भरकर कार्यालय में जमा कर दें।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में संबन्धित प्राचार्य प्रवेश समितियों का गठन करते हैं, जो प्रवेश संबन्धी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगे। प्रवेश के लिए प्रवेश समिति और प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

1. विज्ञान में प्रवेश के लिए मान्य परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला एवं वाणिज्य में प्रवेश के लिए मान्य परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश हेतु प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
2. प्रवेश के अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा किये हों, अन्यथा वे प्रवेश के अयोग्य होंगे।
3. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं।
4. संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्रधानाचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोकसभा, विधानसभा के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियन्ता द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तरांचल शासनादेश संख्या 1144/क्रमिक –2–2001–53(1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी, जो इस प्रकार हैः अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण देय होगा, जिसमें महिलाएं 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 5 प्रतिशत, विकलांग 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित 2 प्रतिशत।
6. विकलांग अभ्यर्थी को संबन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है, उसी श्रेणी में 3 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों को सामान्य श्रेणी में भरा जा सकेगा।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया गया है। स्नातक द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगे।
8. प्रवेश के पूर्व ही स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) जमा करना अनिवार्य है।
9. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना होगा ताकि उसके छायाचित्र एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके।

10. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 4 वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन की सुविधा रहेगी, जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित है। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ जे सकेंगे, जिन्होंने पूरे सत्र अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो, और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता हो।
11. अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
12. प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
13. छात्र/छात्रा के परिचय पत्र में भी आवंटित विषयों का उल्लेख किया जायेगा।
14. संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
15. यदि किसी छात्र ने बी0काम0/बी0ए0 प्रथम वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उर्त्तीण की है और द्वितीय वर्ष में संस्थागत रूप से प्रवेश लेना चाहता तो उसके लिए बी0काम0/बी0ए0 प्रथम वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत होना आवश्यक है।
16. कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत होगीः–

(i) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उर्त्तीण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से होगा न कि 39.9 प्रतिशत)

(ii) जिन महाविद्यालयों की कुल छात्र संख्या 600 से कम है, संबन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य उपलब्ध सुविधाओं एवं रिक्त स्थानों को दृष्टि में रखते हुए न्यूनम अर्हता (40प्रतिशत) में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं। इस सुविधा के अन्तर्गत प्रविष्ट छात्रों का किसी अन्य महाविद्यालयों/परिसरों में स्थानान्तरित नही होगा।

17. छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि उसके उर्त्तीण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी। तदुपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. महाविद्यालय में पूर्व घोषित अंतिम तिथि तक निर्धारित स्थानों के अनुसार ही प्रवेश दिये जायेंगे।

2. स्नातक स्तर पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा या योग्यता सूचकांक के आधार पर होगी। महाविद्यालय में प्रवेश इस प्रतिबंध के साथ निर्धारित है कि प्रवेश की अंतिम तिथि वही जो विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित की गयी है तथा अंतिम तिथि तक सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर छात्रों को निम्न मानकों के अनुसार प्रवेश दिये जायेंगेः–

3. (अ) प्रवेश परीक्षा प्राप्तांकों का 60 प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत इस प्रतिबंध के साथ दिया जाए कि उत्तराखण्ड बोर्ड से उर्त्तीण छात्रों के प्राप्तांकों में 5 अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची बनायी जायेगी।

   (ब) प्रवेश परीक्षा का आयोजन न होने की स्थिति में योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। योग्यता सूची इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर बनायी जायेगी तथा उत्तराखण्ड बोर्ड से उर्त्तीण छात्रों के प्राप्तांकों के प्रतिशत में 5 अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची बनायी जायेगी।

4. उक्त दोनों स्थितियों में अतिरिक्त अंक निम्न प्रकार से आवंटित कर अन्तिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जायेगा।

(i) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी को दस (10) अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(ii) गढ़वाल मण्डल से इण्टरमीडिएट/समकक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 5 अंक देय होंगे।

(iii) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल–कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 5 तथा 7 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(iv) NCC के 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 5 अतिरिक्त अंक देय होंगे तथा आर0डी0 परेड में भाग लेने वाले कैडेट को 3 अंक देय होंगे।

(v) राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण पत्र धारकों को अधिमान नियमानुसार निम्न देय होगाः

(a) 240 घंटे तथा एक विशेष शिविर वाले को –	03 अंक
(b) 240 घंटे तथा दो विशेष शिविर वाले को –	05 अंक
(c) राष्ट्रीय एकीकरण शिविर वाले को –	03 अंक
(d) आर0डी0 परेड वाले को –	03 अंक
अथवा	
(1) 'ए' प्रमाण पत्र धारक को –	02 अंक
(2) 'बी' प्रमाण पत्र धारक को –	03 अंक
(3) 'सी' प्रमाण पत्र धारक को –	05 अंक

(vi) स्काउट में जी–1 धारक को एक अंक तथा जी–2 धारक को दो अतिरिक्त अंक देय होगा।

(vii) ध्रुव पद/गुरू पद धारक को दो अंक देय होंगे।

नोटः– उपरोक्त वर्णित (III) से (VII) तक की श्रेणी में आने वाले प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में 07 अंकों से अधिक लाभ नहीं दिया जायेगा।

(viii) सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति–पत्नी, पुत्री–पुत्री, पौत्र–पौत्री) को तीन अंको का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

नोटः– अधिकतम देय अतिरिक्त अंक 15 ही होंगें।

उपस्थिति नियम

1. शासनादेश संख्या 528(1)15(उ0शि0)71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नही कर सकेगा जब तक कि वह व्याख्यान और टयूटोरियल कक्षाओं में पृथक–पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नही करते हों।
2. निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में व्याख्यान और सेमिनार, प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक–पृथक 6 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।
3. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो। या

   (ब) इस के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष स्थिति में समुचित कारण देने पर।

पाठ्य विषय

1. महाविद्यालय में श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वद्यिालय बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल के निर्धारित पाठ्क्रम एवं नियमों के अधीन स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं विज्ञान संकाय व परास्नातक स्तर पर निम्नांकित विषयों का शिक्षण होता है।

स्नातक विषय	अवधि सत्र	विषय	अनुमन्य सीट
बी0ए0	03 वर्ष	1. हिन्दी साहित्य	112
		2. अंग्रेजी साहित्य	100
		3. भूगोल	112
		4. इतिहास	100
		5. अर्थशास्त्र	100
		6. समाजशास्त्र	100
		7. राजनीति विज्ञान	112
बी0एस–सी0	03 वर्ष	1. भौतिक विज्ञान	60
		2. गणित	60
		3. रसायन विज्ञान	120
		4. जन्तु विज्ञान	80
		5. वनस्पति विज्ञान	80
एम0ए0	02 वर्ष/04 सेमेस्टर	1. भूगोल	40
		2. हिन्दी	60
		3. राजनीति विज्ञान	60

बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर के लिए विषय चयन संबन्धी निर्देश

1. कोई भी छात्र हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में से कोई दो विषय चुन सकता है।
2. कोई भी छात्र भूगोल के साथ संगीत तथा चित्रकला का चयन नहीं कर सकता।
3. केवल वे छात्र भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल के साथ अथवा विज्ञान संवर्ग में गणित या जीव विज्ञान के साथ उत्त्तीर्ण की हो।

4. स्नातक बी0 ए0 स्तर पर केवल वही छात्र गणित विषय का चयन कर सकते हैं जिन्होने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में गणित का अध्ययन किया हो।

5. बी0एस–सी0 में छात्र उसी संवर्ग में प्रवेश ले सकते हैं जिसका अध्ययन उन्होने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में किया हो।

6. स्नातकोत्तर स्तरपर केवल वही छात्र भूगोल विषय का चयन कर सकते हैं जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल का अध्ययन किया हो।

पाठ्य सहगामी क्रिया–क्लाप

विभागीय परिषदः– विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास हेतु महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग में विभागीय परिषदों का प्रतिवर्ष गठन किया जाता है। इन परिषदों के माध्यम से विद्यार्थी में नेतृत्व क्षमता के विकास के साथ–साथ बौद्धिक क्षमताओं का भी परिवर्द्धन होता है। प्रत्येक विभागीय परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव तथा कोषाध्यक्ष का मनोनयन होता है। इन पदाधिकारियों के सहयोग से परिषद के तत्वाधान में वाद–विवाद, भाषण प्रतियोगिता, निबंध, कविता, लेखन, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं संगोष्ठियों के माध्यम से विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। महाविद्यालय में सभी विभागीय परिषदों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा इन प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को वार्षिकोत्सव के अवसर पर पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र वितरित किये जाते है। इस प्रकार विभागीय परिषदों द्वारा विद्यार्थी के सर्वांगीण उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होता है।

क्रीड़ाः– महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की खेलकूद सामग्री उपलब्ध है। महाविद्यालय की चयन स्पर्धा में प्रतिभाग कर विश्वविद्यालय स्तर पर एवं अन्तर्विश्वविद्यालय नार्थजोन अथवा अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होता है। इन प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर से पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है और साथ ही नार्थजोन/अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों को सभी प्रवेश परीक्षाओं एवं राजकीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु भारंक नियमानुसार अनुमन्य होता है। महाविद्यालय में विगत वर्ष दा मैड़ 2000 मीटर बालक एवं बालिका वर्ग, बैडमिंटन बालक एकल, बालिका एकल, गोला फेंक बालक एवं बालिका वर्ग, कैरम प्रतियोगिता बालक एवं बालिका वर्ग इत्यादि प्रतियोगिताएं सम्पन्न हुई। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र दिये गये।

छात्रवृत्तिः– महाविद्यालय में निर्धन/कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं के कल्यार्थ छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैः–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति– माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये एक लाख पचास हजार वार्षिक होने पर छात्रवृति प्रदान की जायेगी। इससे अधिक आय होने पर कोई छात्रवृति देय नही होगी।

2. पिछड़ी जाति छात्रवृतिः– छात्र–छात्राओं के माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 44,500/– से अधिक न हों अन्यथा छात्रवृति देय नही होगी।

3. विकलांग छात्रवृतिः– विकलांग प्रतिशतता के आधार पर सभी विकलागों को देय।

4. राष्ट्रीय छात्रवृतिः– यह छात्रवृति उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा प्रदान की जाती है।

5. भूतपूर्व सैनिक छात्रवृतिः– उक्त छात्रवृति संबन्धित जिले के सैनिक एवं पुनर्वास कार्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है।

6. वर्सरी छात्रवृतिः– शासनादेश के नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा संबन्धित महाविद्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करने पर योग्यतानुसार प्रदान की जाती है। इस हेतु छात्र/छात्राओं को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक सहित उर्त्तीण होना चाहिए तथा माता/पिता/अभिभावक की मासिक आय रूपये 5000/– से अधिक नही होनी चाहिए।

अनुशासन

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में छात्र अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। महाविद्याालय में स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण एवं अनुशासन बनाये रखने हेतु शास्ता मण्डल का गठन किया गया है। शास्ता मण्डल द्वारा समय –समय पर नियम बनाये जाते है,जिनका अनुपालन करना छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक है। शास्ता मण्डल का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों को यह ज्ञात होना चाहिये, कि उनके किसी भी अनुचित व्यवहार व किसी नियम का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल को पूर्ण अधिकार है कि वह विद्यार्थी के विरूद्ध एचित कार्यवाही करे। दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही इसलिये भी आवश्यक हो जाती है, कि जिससे महाविद्यालय का वातावरण दूषित न हो और छात्र,छात्राओं, शिक्षकों व कर्मचारियों की शान्ति भंग न हो तथा नैत्यिक दायित्व/कार्यों में कोई बाधा उपस्थित न हो। महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं से आशा की जाती है कि अपनी गौरवशाली परम्परा का निर्वहन करते हुए संस्था में अनुशासन तथा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।

महाविद्यालय में छात्र/छात्राएं किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न ले ओर बल प्रयोग न करे। यदि उसे कोई शिकायत हो तो प्राचार्य/प्राक्टर को तुरन्त लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करे,ताकि शास्ता मण्डल उसकी छानबीन करके कार्यवाही सुनिश्चित कर सके।

महाविद्यालय का प्रत्येक छात्र/छात्रा निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखे तथा किसी भी स्थित में उनकी अवहेलना न करे।

मुख्य अपराधः

1. महाविद्यालय परिसर में आये अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
2. महाविद्यालय के अधिकारियों /कर्मचारियों के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
3. जाली हस्ताक्षर, जाली या झूठ प्रमाण पत्र एवं झूठा बयान प्रस्तुत करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा अथवा बल का प्रयोग तथा धमकी देना।
5. ऐसा कोई कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना।
7. कक्षाओं के शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना।
8. महाविद्यालय परिसर किसी राजनैतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार करना।

निषेधः

1. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय परिसर के कमरों, दीवारों, कक्षों तथा दरवाजों आदि पर लिखना और उन पर विज्ञापन या इश्तिहार लगाना।
3. महाविद्याालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुॅचाना।

4. ंमहाविद्यालय के अधिकारी, प्राक्टर एवं प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र मॉगने पर इन्कार करना।
5. कक्षाओं में च्यूंगम, पान मसाला, मोबाइल फोन का इत्यादि का प्रयोग करना।

परिचय पत्रः

महाविद्यालय परिसर के प्रत्येक संस्थागत छात्र/छात्रा को शास्ता मण्डल कार्यालय से परिचय पत्र अवश्य प्राप्त करना होगा। परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखना छात्र /छात्रा के लिए आवश्यक है। यदि कभी शास्ता मण्डल का कोई सदस्य परिचय पत्र दिखाने को कहता है और उस समय यदि परिचय पत्र न हो तो ऐसी स्थित में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जायेगा। प्रथम बार निर्गत परिचय पत्र खो जाने पर दूसरा परिचय पत्र रू0 25 (पन्द्रह रूपये) जमा करने पर निर्गत किया जायेगा।

महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठः

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने एवं महिला उत्पीड़न के मामलों की देखरेख के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देखरेख के अतिरिक्त छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर समय–समय पर चलाये जाते है। इस प्रकोष्ठ के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रवओं के लिए योग शिविर आयोजित किये जाते है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई (100) को महाविद्यालय में प्रतिवर्ष संचालित किया जा रहा है। जिससे छात्र/छात्राओं के बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण में महत्ती भूमिका का निवर्हन कर रहा है। सेवा योजना कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास संचार एवं स्व–निर्माण की संकल्पना को ठोस रूप प्रदान करता है।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमानुसार दो प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैः–

1. नियमित कार्यक्रमः– इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी को अपने पंजीकरण के दो वर्ष के कार्यकाल में निरन्तर 240 घण्टे प्रतिवर्ष रा0से0यो0 के अन्तर्गत सेवा देना अनिवार्य है।

2. विशेष शिविर कार्यक्रमः– इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी को चयनित ग्राम/बस्ती में कम से कम सात दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना अवश्य है। शिविर में नियमित कार्यक्रमों के साथ परियोजना कार्य भी हाथ में लिया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए निम्न आचार संहिता निर्धारित की गई हैः–

1. सभी स्वयंसेवी कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नामित किये समूह के नेता के मागदर्शन में कार्य करेंगे।

2. वे अपने समूह समाज में नेतृत्व के विश्वास भावन और सहयोगी बनेंगे।

3. वे विवादास्पद विषय/आन्दोलन में संलिप्त नही होंगे।

रेड रिबन क्लब

महाविद्यालय में उत्तराखण्ड राज्य एडस नियंत्रण संस्था देहरादून तथा राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम उत्तराखण्ड सरकार के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष रेड रिबन क्लब का गठन किया जाता है।

उक्त क्लब के सदस्य महाविद्यालय के शिक्षक विशेष रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयंसेवी छात्र तथा अन्य छात्र/छात्राएं है। इस क्लब के माध्यम से स्वयंसेवी विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं जिनमें से प्रमुख हैः–

1. युवा पीढ़ी में एच0आई0बी0 एड्स संबन्धी जानकारी एवं जागरूकता का विकास।

2. स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना।

3. संयमित जीवनचर्या जिसके अन्तर्गत नशामुक्ति, महानिषेध आदि को प्रोत्साहित करना।

पुस्तकालय

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के पठन–पाठन की आवश्यकता के मद्देनजर पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में पुस्तकालय में लगभग 6000/– पुस्तकें उपलब्ध है। महाविद्यालय में वाचनालय में पत्र–पत्रिकाएं, प्रतियोगिता दर्पण, इण्यिा टुडे, रोजगार समाचार पत्र एवं दैनिक समाचार पत्र आते हैं, जिससे छात्र/छात्राएं ज्ञानार्जन करते हैं। वर्तमान में महाविद्यालय के पुस्तकालय से प्रत्येक छात्र/छात्राओं को लगभग तीन पुस्तकों का वितरण किया जाता है।

पुस्तकालय के नियम

1. परिचय पत्र के बिना पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित है।

2. पुस्तकालय में व्यक्तिगत सामान ले जाना मना है।

3. पुस्तकों की सुरक्षा छात्र/छात्राओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रकार का संकेत, पृष्ठ फाड़ना, चित्र सारणी निकालना निषिद्ध है तथा किसी भी प्रकार क्षतिग्रस्त की गई पुस्तक को वापस नहीं लिया जायेगा।

4. पुस्तकालय से निर्गत समस्त पुस्तकों को परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय वापस करना होगा।

महाविद्यालय प्रशासन

1. **अनुशासन समितिः—** महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने, उसके संरक्षण एवं अनुपालन हेतु अनुशासन समिति का गठन किया गया है। महाविद्यालय के प्राध्यापक इस समिति के सदस्य है। शिक्षार्थी अनुशासन सम्बन्धी अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उक्त समिति के प्रभारी एवं सदस्यों से सम्पर्क कर सकते हैं।

2. **रैंगिग निषेध समितिः—** रैंगिग अधिनियम 2009, जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंगिग को पूर्णतया प्रतिबंधित करने हेतु लागू किया गया है, का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय में रैंगिग निषेध समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक प्रवेशार्थी को एवं उनके माता/पिता अथवा संरक्षक को निर्धारित एण्टी रैंगिग प्रपत्र पूरित कर प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। शिक्षार्थी रैंगिग संबन्धी किसी भी समस्या हेतु उक्त समिति से सम्पर्क कर सकते हैं।

3. **शिकायत निवारण प्रकोष्ठः—** महाविद्यालय में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कार्यरत है। उक्त समिति के सम्मुख छात्र—छात्राएं अपने प्रत्यावेदन में माध्यम से शिकायतों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

4. **सूचना अधिनियम एवं सूचना अधिकारीः—** सूचना अधिनियम 2005 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था से संबन्धित सूचना आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इस हेतु 10/— रूपये की धनराशि आवेदन शुल्क के रूप में लोक सूचना अधिकारी महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इसके अतिरिक्त एक सहायक लोक सूचना अधिकारी के पद की भी व्यवस्था है।

5. **गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठः—** महाविद्यालय में पूर्ण समग्रता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चयन हेतु एक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। उक्त प्रकोष्ठ संस्था के प्रत्येक स्तर पर क्रियान्वित किये जा रहे क्रियाक्लापों, योजनाओं आदि में गुणवत्ता संवर्धन हेतु सतत प्रयत्नशील है।

6. **सांस्कृतिक समितिः—** छात्र/छात्राओं के बहुमुखी विकास को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु महाविद्यालय में सांस्कृतिक समिति कार्य कर रही है।

7. **कैरियर काउन्सिलिंग समितिः—** शिक्षार्थियों को उनकी अभिरूचि एवं अर्जित योग्यता के आधार पर कैरियर के चुनाव में सही मार्गदर्शन देने का कार्य सम्पादित करने हेतु इस समिति का गठन किया गया है। छात्र इसके माध्यम से सही दिशा में भविष्य निर्माण हेतु प्रभावी एवं सार्थक प्रयास कर सकते हैं।

8. **महाविद्यालय विकास समितिः—** महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु इस समिति का गठन किया गया है।

9. **परीक्षा समितिः—** महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु परीक्षा समिति का गठन किया गया है।

10. **क्रीड़ा समितिः—** महाविद्यालय के विद्यार्थियों में खेल—कूद को प्रोत्साहित करने हेतु एवं वार्षिक खेल—कूद प्रतियोगिताओं को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु क्रीड़ा समिति बनायी गयी है।

11. **क्रय समितिः—** महाविद्यालय में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि के सही प्रबन्धन एवं सामग्री की उचित गुणवत्ता हेतु क्रय समिति बनायी गयी है।

12. **आयकर समितिः—** महाविद्यालय में आयकर से सम्बन्धित सारे मामलों को निपटाने हेतु आयकर समिति का गठन किया गया है।

13. **पुस्तकालय समितिः—** महाविद्यालय में पुस्तकालय का सही प्रबन्धन हो, छात्रों को पुस्तकों का सही वितरण एवं पुस्तकालय में यथा समय पुस्तकें वापस हों, इसके लिए पुस्तकालय समिति बनायी गयी है।

14. **प्रवेश समिति/विषय परिवर्तन समितिः—** महाविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश को विश्वविद्यालय के नियमानुसार सम्पन्न कराने हेतु एक समिति बनायी गयी है। प्रवेश के बाद छात्र/छात्राओं के विषय परिवर्तन की मांग के निवारण के लिए एक विषय परिवर्तन समिति का गठन किया गया है।

15. **निर्वाचन समितिः—** महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन समिति का गठन किया गया है।

16. **छात्रवृत्ति समितिः—** महाविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, विकलांग छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, भूतपूर्व सैनिक छात्रवृत्ति इत्यादि छात्रवृतियों के लिए एक छात्रवृत्ति समिति का गठन किया गया। संबन्धित छात्र, छात्रवृत्ति समिति से सम्पर्क कर सकते हैं।

छात्रसंघ

छात्रसंघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या S.L.P.(civil)No-24295/2004/दिनांक 24.06.2004 जो अपर महाअधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या— 4240 दिनांक 23.10.2006 द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/XXIV(6)/2007-3(168)/2001 दिनांक 27.02.2001 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में प्रवेश समिति द्वारा नियमों के आधार पर छात्रसंघ के चुनाव सम्पन्न होंगे।

इस महाविद्यालय में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप प्रतिवर्ष छात्रसंघ के निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है। छात्रसंघ में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक संयुक्त सचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं एक विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है। छात्रसंघ महाविद्यालय प्रशासन तथा छात्रों के मध्य सक्रिय समन्वय बनाये रखने की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

रैंगिग निषेध अधिनियम 2009

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खण्ड 26 के उपखण्ड —1—की धारा —G— द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एतद्द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंगिग को पूर्णरूपेण प्रतिबंधित करते हुए रैंगिग निषेध अधिनियम 2009 लागू किया गया है। दो परिशिष्ट सहित 13 पृष्ठ लम्बे इस अधिनियम को यहां विवरणिका में स्थान की सीमा के कारण पूर्णरूपेण प्रस्तुत कर पाना संभव नही है, किन्तु महाविद्यालय उक्त अधिनियम के संबन्ध में पूर्णतया गंभीर है। इस अधिनियम के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राचार्य या मुख्य अनुशास्ता से प्राप्त की जा सकती है। रैंगिग की आशंका या उससे पीड़ित होने पर अभ्यर्थी/शिक्षार्थी या उनके माता—पिता या संरक्षक उक्त अधिकारियों के साथ—साथ महाविद्यालय में प्राचार्या की अध्यक्षता में गठित रैंगिग निषेध समिति के सदस्यों—प्राध्यापकों, नये प्रविट छात्र/छात्राओं के प्रतिनिधि, महाविद्यालय के वरिष्ठ छात्र—छात्राओं, शिक्षणेत्तर कर्मचारी से दूरभाष पर या सीधे सम्पर्क कर सकते हैं।

रैंगिग के दंडित क्षेत्र

1. रैगिग को प्रोत्साहित करना।

2. रैंगिग के लिए आपराधिक षडयंत्र।

3. रैंगिग के समय गैर कानूनी भीड़ एवं हंगामा

4. रैंगिग के समय सामाजिक मर्यादा, शालीनता का अतिक्रमण।

5. शरीर को हल्का या गहरा आघात पहुंचाना।

6. गैर कानूनी रूप से बन्दी बनाना।

7. गैर कानूनी रूप से प्रतिबंधित करना।

8. आपराधिक तत्वों का प्रयोग करना।

9. शारीरिक शोषण एवं यौन दुराचार।

10. प्रहार करना एवं अप्राकृतिक अत्याचार।

11. अन्य कोई अपराध जो रैंगिग की सीमा में आता हो।

महाविद्यालय स्तरीय रैंगिग निषेध के उपाय

1. महाविद्यालय रैंगिग निषेध अधिनियम के प्रावधानों को बिना भय अथवा बिना पक्षपात के कडाई से लागू करने की व्यवस्था करना।

2. महाविद्यालय की परिधि में रैंगिग के समस्त रूपों को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। महाविद्यालय की परिधि से तात्पर्य विभागों, कक्षाएं, शैक्षणिक, क्रीडा, कैंटीन आदि परिसर से है। सरकारी या निजी किसी भी प्रकार के यातायात साधनों में भी रैंगिग पूर्णतया प्रतिबंधित है।

वार्षिकोत्सव

महाविद्यालय में प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सव होता है जिसमें छात्र/छात्राये अपनी विभिन्न प्रतिभाओं का प्रर्दशन रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से करते है। वार्षिकोत्सव के दिन समस्त विभागीय परिषदों एवं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य महोदय द्वारा पुरस्कार वितरण एवं प्रमाण पत्र दिये जाते है।

शुल्क विवरण

छात्र/छात्राओं को निम्नांकित शुल्क देय होगे। इन दरों में विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/शासन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है

क्रीड़ा शुल्क	360
वाचनालय शुल्क	30
पत्रिका शुल्क	50
परिषद शुल्क	50
छात्रसंघ शुल्क	50
निर्धन छात्र शुल्क	10
परिचय पत्र शुल्क	25
नामांकन शुल्क	200
परीक्षा शुल्क (बी0ए0/बी0एससी0)	650 छात्रों द्वारा वि0वि0 को ऑनलाईन जमा किया जायेगा।
परीक्षा शुल्क (एम0ए0 प्रत्येक सेमे0)	750 छात्रों द्वारा वि0वि0 को ऑनलाईन जमा किया जायेगा।
उपाधि शुल्क	200 (केवल बी0ए0/बी0एससी0 तृतीय वर्ष/एम0ए0 उत्तरार्ध के छात्र/छात्राओं के लिए)
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	50
विविध शुल्क	100
<u>महाविद्यालय प्रांगण</u>	
विकास एवं सौन्दर्यीकरण	20
काउन्सलिंग सैल शुल्क	30
इण्टरनेट शुल्क	70
प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	60
अभिभावक शिक्षक संघ शुल्क	30
प्रशाधन शुल्क	50
महाविद्यालय दिवस	20
विघुत शुल्क	60

कोषागार शुल्क

1.	प्रवेश शुल्क	–	03.00
2.	शिक्षण शुल्क	–	शून्य
3.	प्रयोगशाला शुल्क (बी0ए0/बी0एससी0)	–	240.00
4.	प्रयोगशाला शुल्क (एम0ए0)	–	350.00
5.	विकास शुल्क	–	20.00
6.	महंगाई शुल्क	–	240.00
7.	पुस्तकालय शुल्क	–	03.00
8.	पुस्तकालय शुल्क परास्नातक	–	10.00

नोटः– शुल्क शासन के निर्देशानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है परीक्षा, उपाधि एवं नामांकन शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा नियत किया जायेगा।

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य एवं संरक्षक– डॉ0 पंकज पंत

विभाग एवं **प्राध्यापक**	मोबाइल	E-Mail ID
1. भूगोल विभाग 1–डॉ0 रेनू सनवाल (प्राध्यापक) 2–डॉ0 अंजली रावत (प्राध्यापक) 3–डॉ0 उपेन्द्र सिंह चौहान (प्राध्यापक) 4–डॉ0 प्रेम सिंह राणा (प्राध्यापक)	7579451446 6398662422 9548850184 9690846313	sanwalrenu1993@gamil.com anjalir.ntl@gmail.com druschauhan15@gmail.com beenaprem06@gmail.com –
2. इतिहास विभाग 1–डॉ0 एस0के0 जुयाल(विभागाध्यक्ष)	9412115761 7500440325	sanjiv_juyal@yahoo.com sanjivjuyal@gmail.com
3. हिन्दी विभाग 1–डॉ0 एन0के0 चमोला (विभागाध्यक्ष) 2–डॉ0 कीर्ति गिल (प्राध्यापक) 3–डॉ0 शशि चौहान 4–डॉ0 अंजना 5–डॉ0 प्रियंका भट्ट	9411171520 9720505046 8755372184 9536942185 8587001650 7351551118	nandkishorchamola@gmail.com kirtigill164@gmail.com shashi.panwar456@gmail.com anjuhnbgu@gmail.com priyankab1505@gmail.com
4. अर्थशास्त्र विभाग 1–डॉ0 सुनीता मेहता	7668780142	Sunitabisht466@gmail.com
5. राजनीति विज्ञान विभाग 1–डॉ0 शाजिया सिद्दीकी (विभागाध्यक्ष) 2–डॉ0 जगजीत सिंह (प्राध्यापक) 3–डॉ0 रामानन्द 3–डॉ0 सोहनी 4–डॉ0 सुमनलता	9808547488 9760494025 9012309157 8650409614 7579160774	Shazia786siddiqi@gmail.com Jagjeetst555@gmail.com Ramuniyal0207@gmail.com drsohani1@gmail.com dr.sumanlata2017@gmail.com
6. समाजशास्त्र विभाग 1–डॉ0 आरती रावत (विभागाध्यक्ष)	7579021154	artirawat0123@gmail.com
7. अंग्रेजी विभाग 1–डॉ0 वर्षा सिंह	9675467167	Singhversha740@gmail.com
8. भौतिक विज्ञान विभाग 1– डॉ0 अनिल कुमार (विभागाध्यक्ष)	9410503193	anil.kothari@rediffmial.com
9. गणित विभाग 1–डॉ0 आयुष बर्त्वाल	9897732882	ayushbartwal@gmail.com
10. रसायन विज्ञान विभाग 1– डॉ0 चन्द्र सुत हरिओम	9927810082	hariomchandrasut@gmail.com
11. वनस्पति विज्ञान विभाग 1–डॉ0 अभय कुमार श्रीवास्तव	9838656767	aksrivastavaddu@gmail.com
12. जन्तु विज्ञान विभाग 1–डॉ0 कंचन सहगल	9557158054	kanchansehgal217@gmail.com

कर्मचारी वर्ग		
1. कु0 सीमा (कनिष्ठ सहायक)	9761600520	seemaparmar6603@gmail.com
2. कु0 ललिता (पुस्त0 लिपिक)	8171675378	lalitakandari92@gmail.com
3. श्री विजय कुमार (प्रयोगशाला सहायक–भूगोल)	7500570138	vijaysailani147@gmail.com
4. प्रबल सिंह (प्रयोगशाला परिचर – भूगोल)	9719137141	prabalparmar@gamil.com
5. श्री सतीश प्रसाद (अनुसेवक)	8859688217	satishprasadchamola@gmail.com
6. श्री विजयपाल लाल (अनुसेवक)	8938829317	–
7. श्री दीपक सिंह (अनुसेवक)	9837263168	–
8. श्री मानवेन्द्र सिंह (स्वच्छक चौकीदार)	8755549380	–
9. श्री नवनीत सती	7895076166	navneetsati2011@gmail.com
10. श्रीमती शालिनी देवी	7668245632	–
11. श्री अनिल कुमार	9759154505	–
12. श्री गुलशन कुमार	9410512956	gulshansidolasidola@gmail.com
13. श्री प्रदीप सिंह	8527306535	–

विद्यार्थियों हेतु आचार नियम

महाविद्यालय परिवार में स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण वातावरण के निर्माण एवं संरक्षण का उत्तरदायित्व महाविद्यालय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का है। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक संस्थागत छात्र/छात्रा को इस दिशा में प्रयत्नशील रहना होगा। छात्र/छात्राओं के आचार–व्यवहार, महाविद्यालय के लिये निष्ठा, नियमानुरूप कार्य करने की तत्परता आदि बातों पर महाविद्यालय की प्रतिष्ठा निर्भर है। इस प्रतिष्ठा को बनाये रखना, प्रत्येक छात्र/छात्रा का पुनीत कर्त्रवय है।

सामान्य रूप से निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहियेः

1. छात्रों को महाविद्यालय की अनुशासन व्यवस्था के अनुयप आचरण करना चाहिये। प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी तरह का आयोजन नहीं ारना चाहिये।

2. यदि किसी छात्र/छात्रा को किसी प्रकार की कठिनाई या शिकायत हो तो उसके निराकरण के लिये मुख्य अनुशासक, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ अथवा आवश्यकता पड़ने पर प्राचार्य सं सम्पर्क स्थपित करना चाहिये।

3. छात्रों से संबंधित सभी सुचनाये महाविद्यालय के सूचना पट पर लगाई जाती है। अतः छात्रों को नियमित रूप से सूचना पट देखना चाहिये।

4. छात्र/छात्राओं को अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिये। विभागीय तथा महाविद्यालयी पाठ्येत्तर क्रिया– कलापों में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिये।

5. महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखना छात्रों का कर्तव्य है। मुख्य अनुशासक एवं अन्य शिक्षकों को यह अधिकार है कि वे अनुशासन हित में छात्रों से पुछताछ कर निर्देश दे सकते हैं। ऐसी दशा में छात्रों को चाहिये कि वे भद्र व्यवहार न करे और मॉगे जाने पर अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करें। इस प्रकार अपने अनुशासित आचरण का परिचय दें।

6. यदि कोई छात्र महाविद्यालय का अनुशासन भंग करता है अथवा अनुशासन बनाये रखने में बाधा उत्पन्न करता है या अभद्र व्यवहार करता है,तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उसे उचित दण्ड दिया जायेगा।